[2023] 4 एस. सी. आर. 430

एसएपी लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

वी.

आय कर अधिकारी, क्रम 6, बैंगलोर

(2022 की सिविल अपील संख्या 8463)

अप्रैल 19,2023

[एम. आर. शाह और एम. एम. सुंदरेश, जेजे।]

आय कर अधिनियम, 1961: एसएस। 92 , 92 ए से 92 सीए, 92 डी, 92 ई, 92 एफ और 260 ए-हस्तांतरण हस्तांतरण मूल्य निर्धारण मामले-हाथ की लंबाई की कीमत, हाथ की लंबाई की कीमत का निर्धारण, न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित

इसके बाद, उच्च न्यायालय द्वारा यू/एस की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाथ की लंबाई की कीमत का निर्धारण। 260 ए-आयोजित की अनुमतिः कानून का कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं हो सकता है कि उन सभी मामलों में जहां न्यायाधिकरण ने हाथ की लंबाई का मूल्य निर्धारित किया है, वही अंतिम है।

और धारा 260 ए के तहत एक अपील में उच्च न्यायालय द्वारा जांच का विषय नहीं हो सकता है-जब हाथ की लंबाई की कीमत के निर्धारण को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, तो उच्च न्यायालय के लिए यह विचार करने और जांच करने के लिए हमेशा खुला रहता है कि क्या अधिनियम और नियमों के तहत प्रासंगिक दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए हाथ की लंबाई की कीमत निर्धारित की गई है-उच्च न्यायालय के लिए प्रत्येक मामले में यह जांच करने के लिए हमेशा खुला रहता है कि हाथ की लंबाई की कीमत का निर्धारण और हाथ की लंबाई की कीमत निर्धारित करते समय न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं या नहीं-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश कि

न्यायाधिकरण द्वारा हाथ की लंबाई की कीमत का निर्धारण अंतिम होगा। जिसके विरुद्ध यू/एस द्वारा अपील की जाती है। 260 ए का मनोरंजन करने की आवश्यकता नहीं है और इसे रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 हाथ की लंबाई का मूल्य निर्धारित करते समय, न्यायाधिकरण को अध्याय X के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना होता है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92,92 ए से लेकर 92 सीए, 92 डी, 92 ई और 92 एफ और नियमों के नियम 10 ए से लेकर 10 ई तक। दिशानिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधानों के अध्याय X डी हॉर्स के तहत हाथ की लंबाई की कीमत के किसी भी निर्धारण को विकृत माना जा सकता है और इसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में माना जा सकता है

विकृति के रूप में कानून को ही कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न कहा जा सकता है। इसलिए, कानून का कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं हो सकता है।

कि उन सभी मामलों में जहां न्यायाधिकरण ने हाथ की लंबाई का मूल्य निर्धारित किया है, वही अंतिम है और आईटी अधिनियम की धारा 260 ए के तहत अपील में उच्च न्यायालय द्वारा जांच का विषय नहीं हो सकता है। जब हाथ की लंबाई की कीमत के निर्धारण को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, तो उच्च न्यायालय के लिए यह विचार करने और जांच करने के लिए हमेशा खुला रहता है कि हाथ की लंबाई की कीमत क्या है।

अधिनियम और नियमों के तहत प्रासंगिक दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। यहां तक कि उच्च न्यायालय भी दो कंपनियों की तुलना या फिल्टर के चयन के सवाल की जांच कर सकता है और जांच कर सकता है कि क्या यह विवेकपूर्ण तरीके से और प्रासंगिक सामग्री/साक्ष्य के आधार पर किया जाता है।

रिकॉर्ड करें। उच्च न्यायालय यह भी जांच कर सकता है कि क्या तुलनीय लेनदेन को ध्यान में रखा गया है।

ठीक से या नहीं, यानी, इस हद तक कि गैर-तुलनीय लेनदेन को तुलनीय लेनदेन माना जाता है या नहीं। [पैरा 7] [442 सी-जी]

1.2 . प्रत्येक मामले में, उच्च न्यायालय को जांच करनी चाहिए कि क्या अधिनियम और नियमों में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है

हाथ की लंबाई की कीमत निर्धारित करते समय। इसलिए, सॉफ्टब्रांड इंडिया (पी) लिमिटेड के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पूर्ण प्रस्ताव कि हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के मामले में, न्यायाधिकरण द्वारा हाथ की लंबाई की कीमत का निर्धारण अंतिम होगा और यह जांच का विषय नहीं हो सकता है और उच्च न्यायालय को इसकी शुद्धता की जांच करने से रोक दिया गया है।

एक अपील में न्यायाधिकरण द्वारा हाथ की लंबाई की कीमत का निर्धारण

आई. टी. अधिनियम की धारा 260 ए के तहत इस आधार पर कि इसे कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल उठाने वाला नहीं कहा जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आईटी अधिनियम की धारा 260 ए के मापदंडों के भीतर एक अपील में हाथ की लंबाई की कीमत के निर्धारण को चुनौती देते हुए, यह है

उच्च न्यायालय के लिए प्रत्येक मामले में यह जांच करने के लिए हमेशा खुला रहता है कि हाथ की लंबाई का मूल्य निर्धारित करते समय, अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है या नहीं और हाथ की लंबाई का मूल्य निर्धारित करते समय न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं या नहीं। [पैरा 8] [442-एच; 443-ए-सी]

1.3 . उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णयों और आदेशों ने राजस्व की अपीलों को खारिज कर दिया और यहां तक कि निर्धारिती द्वारा की गई अपीलों को रद्द कर दिया जाता है और [2023] 4 एस. सी. आर. को अलग कर दिया जाता है।

और संबंधित अपीलों पर निर्णय लेने और उनका निपटान करने के लिए मामलों को संबंधित उच्च न्यायालयों को वापस भेजा जाना आवश्यक है। प्रत्येक मामले में की गई टिप्पणियों के आलोक में नए सिरे से जांच की जाती है कि क्या न्यायाधिकरण द्वारा हाथ की लंबाई का मूल्य निर्धारित करते समय निर्दिष्ट अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है या नहीं और इस हद तक कि क्या

हाथ की लंबाई की कीमत निर्धारित करते समय न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं या नहीं। [पैरा 9] [443-डी-ई]

पीसीआईटी वी. सॉफ्टब्रांड इंडिया (पी) लिमिटेड (2018) 406 आईटीआर 513

(कर्नाटक)-अस्वीकृत।

विजय कुमार तलवार बनाम। सीआईटी (2011) 1 एससीसी 673: [2010]

14 एस. सी. आर. 499; सर चुनिलाल वी. मेहता एंड संस लिमिटेड बनाम।

सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ए. आई. आर. 1962

एस. सी. 1314 [1962] पूरक। एस. सी. आर. 549; जी. एल. सुतानिया और

एन. आर. वी. एस. ई. बी. आई और अन्य। (2007) 5 एससीसी 133: [2007] 6

एस. सी. आर. 1152-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2010] 14 एससीआर 499

संदर्भित किया गया है

पैरा 3.4

[1962] पूरक। एससीआर 549

संदर्भित किया गया है

पैरा 3.4

[2007] 6 एससीआर 1152

संदर्भित किया गया है

पैरा 3.11

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 8463

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 09.07.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2011 के आई. टी. ए. सं. 10 में बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार द्वारा।

के साथ

सिविल अपील सं। 8553 , 8504 , 8464 , 8682 , 9387 , 8675 , 9401 , 9023 ,

8465 , 8466 , 8607 , 8608 , 8554 , 8622 , 8609 , 8702 , 8621 , 8620 , 8610 , 8611 , 8619 , 8617 , 8625 , 8624 , 8618 , 8627 , 8665 , 8623 , 8557 , 8626 , 8555 , 8528 , 8704 , 8666 , 8661 , 8663 , 8628 , 8664 , 8559 , 8667 , 8560 , 8668 , 8584 , 8587 , एसएपी लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

आय कर अधिकारी, क्रम 6, बैंगलोर

8586 , 8669 , 8672 , 8591 , 8671 , 8670 , 8556 , 8558 , 8561 , 8583 , 8585 , 8590 , 8592 , 8674 , 8679 , 8594 , 8680 , 8686 , 8703 , 8600 , 8676 , 8677 , 8683 , 8684 , 8689 , 8690 , 8685 , 9412 , 8678 , 8691 , 9413 , 8692 , 9414 , 8695 , 9415 , 8687 , 8696 , 8603 , 8605 , 8699 , 8700 , 8701 , 8697 , 9404 , 9411 , 8602 , 8693 , 8705 , 8688 , 8698 , 9405 , 9406 , 9409 , 9407 , 9408 , 9025 , 9030 , 9034 , 9036 , 8604 , 9410 , 9021 , 9022 , 9024 , 9026 , 9027 , 9028 , 9029 , 9416 , 9031,9032 , 9033 , 9035 , 9037 , 9038 , 9039 , 9388 , 9389 , 9390 , 9393 , 9394 , 9395 , 9396 , 9397 , 9398 , 9399 , 9400 2022 का 2939,2023 का 2939,8606,8512,8513,8511,8646,2022 का 8549,2023 का 2938,8461 और 2022 का 8535।

सुश्री रुनामोनी भुइयां, एच. राघवेंद्र राव, शैंकी अग्रवाल, हर्ष शुक्ला, आदित्य राठौर, सुश्री श्रेया वढेरा, सुश्री मीरा माथुर, कुणाल वर्मा, युगांधरा पवार झा, सुश्री तन्मयी राजकुमार, सुश्री मनसा अनंतन, अश्विन नायर, सुश्री महिमा गौड़, साई किरण, सुश्री लावण्या धवन, ऋतिक गुप्ता, सुश्री कविता झा, अनंत मान, नीरज जैन, उदित नरेश, अनिकेत डी. अग्रवाल, राजीव मिश्रा, विशाल कालरा, एस. एस. तोमर, अनिल कुमार गौतम, रोहन शाह, अरुपदास गुप्ता, रोहन थवानी, सुश्री पूजा धर, प्रदीप सिंह आनंद, प्रतुल प्रताप के. एस. एन. एंड कंपनी, सलिल कपूर, सुश्री अनन्या कपूर, सनत कपूर, सुमित लालचंदानी, डॉ. शास्वत बाजपेयी, विभु जैन, प्रवीण स्वरूप, विवेक सरीन, दिव्य प्रशांत सिंह, सतीश सी. कौशिक, सुश्री अवनीका मिश्रा, आकर्शन आदित्य, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

23] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. सिविल अपीलों का वर्तमान बैच, ज्यादातर राजस्व और कुछ निर्धारिती द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों से उत्पन्न होता है।

विभिन्न उच्च न्यायालयों, विशेष रूप से कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने 'हस्तांतरण मूल्य निर्धारण' के मुद्दों पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में, 'न्यायाधिकरण') के निष्कर्षों को चुनौती देने वाली अपीलों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि न्यायाधिकरण द्वारा तय किए गए मुद्दे तथ्य के प्रश्न हैं और चूंकि विकृति का न तो अनुरोध किया जाता है और न ही उस आशय की सामग्री को रखते हुए तर्क दिया जाता है और न ही प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, 'आईटी अधिनियम') की धारा 260 ए के तहत विचार के लिए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने पिछले फैसले पर भरोसा करते हुए राजस्व द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया है

पी. सी. आई. टी. का मामला बनाम सॉफ्टब्रांड इंडिया (पी) लिमिटेड ने (2018) 406 आई. टी. आर. 513 (कर्नाटक) में सूचना दी।

2. राजस्व की ओर से पेश हुए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री बलबीर सिंह ने जोर देकर कहा है कि

हाथ की लंबाई की कीमत निर्धारित करते हुए, आईटी अधिनियम की धारा 260 ए के तहत अपील में उच्च न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। 2.2 श्री बलबीर सिंह, विद्वान ए. एस. जी. ने हमें अध्याय 10 के तहत निर्धारित किए जाने वाले हस्तांतरण मूल्य निर्धारण/हाथ की लंबाई मूल्य की योजना की ओर ले गए हैं।

आई. टी. अधिनियम, विशेष रूप से धारा 92,92 ए से 92 सीए, 92 डी, 92 ई और 92 एफ और आयकर नियम, 1962 के नियम 10 ए से 10 ई (संक्षेप में, 'आई. टी. नियम')। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हस्तांतरण मूल्य निर्धारण की योजना के तहत, आईटी अधिनियम और नियमों के उपरोक्त प्रावधानों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए हाथ की लंबाई की कीमत निर्धारित की जानी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय के लिए यह विचार करने और/या जांच करने के लिए हमेशा खुला है कि क्या अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों का ट्रिब्यूनल द्वारा उपयोग किया गया है या नहीं।

एसएपी लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v. आय कर अधिकारी, क्रम 6, बैंगलोर [एम. आर. शाह, जे.]

2.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि भुजा की लंबाई का मूल्य न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है तो अधिनियम के तहत निर्धारित दिशानिर्देश और

नियम, विशेष रूप से नियमों के नियम 10 ए से 10 ई, निर्धारण

इसे विकृत कहा जा सकता है जो अधिनियम की धारा 260 ए के तहत एक अपील में हमेशा उच्च न्यायालय द्वारा जांच के अधीन होता है।

2.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए सॉफ्टब्रांड इंडिया (पी) लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में कर्नाटक के उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार को इस न्यायालय द्वारा सही किए जाने की आवश्यकता है।

3. एस/श्री अरविंद पी. दातार, तरुण गुलाटी, पर्सी पारदीवाला, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य विद्वान वकील

संबंधित मूल्यांकनकर्ताओं ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि एक बार जब संबंधित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण द्वारा हाथ की लंबाई का मूल्य निर्धारित किया जाता है, तो उसके बाद उसी को चुनौती देना कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं कहा जा सकता है, जिस पर आईटी अधिनियम की धारा 260 ए के तहत अपील में विचार किया जाना चाहिए।

3.1 निर्धारिती की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. टी. अधिनियम की धारा 260 ए में यह प्रावधान है कि प्रत्येक से उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।

न्यायाधिकरण का आदेश केवल तभी जब उच्च न्यायालय संतुष्ट हो कि मामला इसमें कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। इसकी उप-धारा (6) में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय किसी भी मुद्दे का निर्धारण कर सकता है जो (ए) नहीं किया गया है।

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित; या (ख) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विधि के ऐसे प्रश्न पर निर्णय के कारण अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा गलत तरीके से निर्धारित किया गया है। 3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्रावधान निर्णयों के एक समूह में विचार के लिए आया था। यह एक तय स्थिति है जिसके तहत अधिकार क्षेत्र है

इस पर मतभेद के लिए। 3.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि तथ्य का निष्कर्ष कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म दे सकता है, अन्य बातों के साथ-साथ, यदि निष्कर्ष (i) नहीं पर आधारित हैं।

साक्ष्य; और/या (ii) उक्त निष्कर्ष पर पहुँचते समय, प्रासंगिक स्वीकार्य साक्ष्य को ध्यान में नहीं रखा गया है या अस्वीकार्य साक्ष्य नहीं लिया गया है।

ध्यान में रखा गया है; या (iii) कानूनी सिद्धांत [2023] 4 एस. सी. आर. नहीं हैं।

साक्ष्य की सराहना करने में लागू किया गया; या (iv) जब साक्ष्य का मूल्यांकन किया गया हो।

विजय कुमार तलवार बनाम के मामलों में वकील/वकील ने इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है। सी. आई. टी. (2011) 1 एस. सी. सी. 673 और सर चुनीलाल वी. मेहता एंड संस लिमिटेड बनाम। सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1314 में रिपोर्ट की गई। 3.5 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विकृति, यदि कोई हो, तो न केवल उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में विशेष रूप से आरोप लगाया जाना चाहिए, बल्कि जैसा कि अभिनिर्धारित किया गया है

यह इस बात से संबंधित है कि क्या कोई लेनदेन 'अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन' की परिभाषा के भीतर आता है, या यदि दो उद्यम आईटी अधिनियम के तहत परिभाषा के अनुसार 'संबद्ध उद्यम' हैं। दो कंपनियों की तुलना या फिल्टर के चयन का सवाल आमतौर पर तथ्य का सवाल होता है, जो मुख्य रूप से किए गए कार्यों, नियोजित परिसंपत्तियों और परीक्षण किए गए पक्ष द्वारा ग्रहण किए गए जोखिमों के साथ-साथ तुलनीय लेनदेन पर निर्भर करता है। जब तक न्यायाधिकरण के निष्कर्षों में विकृति का अनुरोध और प्रदर्शन नहीं किया जाता है, तब तक सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने से कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं उठ सकता है और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 260 ए और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 से संबंधित सुलझे हुए कानूनी प्रस्ताव को देखते हुए दोनों पक्षों के बीच इस हद तक कोई विवाद नहीं हो सकता है। 3.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष राजस्व द्वारा दायर सभी अपीलों में, उठाए गए प्राथमिक मुद्दे कुछ तुलनीय और फिल्टर के चयन को शामिल करने और हटाने से संबंधित थे, जो अनिवार्य रूप से तथ्य के प्रश्न हैं और इस हद तक पक्षों के बीच एक आम सहमति है। किसी भी अपील में राजस्व ने न्यायाधिकरण के आदेश में विकृति प्रदर्शित करने के लिए कोई दलील नहीं दी है, या कोई सामग्री नहीं रखी है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने उठाए गए प्रश्नों, न्यायाधिकरण द्वारा प्रस्तुत निष्कर्षों पर ध्यान देने के बाद और यह देखते हुए कि विकृति का न तो अनुरोध किया जाता है/तर्क दिया जाता है और न ही कोई सामग्री प्रस्तुत करके प्रदर्शित किया जाता है, सॉफ्टब्रांड इंडिया (पी) लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्धारित सिद्धांतों पर भरोसा करके अपीलों को खारिज कर दिया। इसलिए, किसी भी त्रुटि के लिए SAP लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

आय कर अधिकारी, क्रम 6, बैंगलोर [एम. आर. शाह, जे.]

ऐसी परिस्थितियों में अपीलों को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश। 3.8 इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि राजस्व का यह निवेदन कि प्रत्येक मामले में उच्च न्यायालय को जांच करनी चाहिए कि क्या दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं

आई. टी. अधिनियम में नीचे दिया गया है और नियमों का पालन यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि हाथ की लंबाई की कीमत सही नहीं है और इसके अलावा बहुत दूर की बात है, क्योंकि उच्च न्यायालय केवल उसके सामने उठाए गए और उत्पन्न होने वाले कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय ले सकता है।

3.9 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि राजस्व का यह निवेदन कि सॉफ्टब्रांड इंडिया (पी) लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय इंगित करता है कि

जहां न्यायाधिकरण द्वारा असंगत विचार लिए जाते हैं, वहां भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह काफी संभव है कि एक मामले में तथ्यों के विशेष समूह को देखते हुए, एक पीठ एक कंपनी को बाहर करती है और दूसरे मामले में तथ्यों के विभिन्न समूह को देखते हुए इसे शामिल करती है, या इसी तरह एक में एक फिल्टर लागू करती है और दूसरे में नहीं। यह वास्तव में सॉफ्टब्रांड इंडिया (पी) लिमिटेड (उपरोक्त) में है (कृपया पैरा 45 देखें)। लगभग सभी मामलों में यह राजस्व है जो एक हाथ की लंबाई की कीमत निर्धारित करने के लिए तुलनीय वस्तुओं के एक ही सेट का उपयोग करता है, इस प्रकार, सभी कर निर्धारकों को एक ही ब्रश से चित्रित करता है। ये तथ्यों के प्रश्न हैं, जिनके लिए मामले-दर-मामले आधार पर निर्धारण की आवश्यकता होगी, और जब तक कि विकृति न हो। न्यायाधिकरण के आदेश में प्रदर्शित किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

3.10 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि हस्तांतरण मूल्य निर्धारण विश्लेषण में शामिल है

अनियंत्रित लेन-देन (आई. टी. अधिनियम और नियमों में विशेष रूप से परिभाषित शब्द) के साथ नियंत्रित लेनदेन का बेंचमार्किंग काफी हद तक एक सांख्यिकीय अभ्यास है जिसमें सार्वजनिक डोमेन में कंपनियों के डेटाबेस का उपयोग किया जाता है जैसा कि आई. टी. अधिनियम और नियमों में विशेष रूप से परिभाषित किया गया है, जिसे यहां ऊपर संदर्भित किया गया है। मामलों के समूह के विशिष्ट तथ्यों में जहां विभाग ने इस न्यायालय से संपर्क किया गया, आईटी अधिनियम और नियमों में निर्धारित विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुप्रयोग का अभ्यास वास्तव में कर दाताओं के प्रतिनिधियों और विभाग के अधिकारियों की सहायता से न्यायाधिकरण द्वारा किया गया था और आईटी अधिनियम और नियमों में निर्धारित कंपनियों की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी को ज्यादातर लेखा परीक्षित वित्तीय आदि के रूप में देखा गया था। करदाताओं और विभागों द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपीलों/अभिवचनों की तुलना करना, जो दायर की गई अपीलों के समूह के हिस्से के रूप में उपलब्ध है, उच्च न्यायालय के समक्ष किए गए मामले की सराहना करने में सक्षम होगा। अपीलों/याचिकाओं के इस समूह में उच्च न्यायालय द्वारा निष्कर्षों की शुद्धता की सराहना करने के लिए यह आवश्यक है। कर विभाग [2023] 4 एस. सी. आर. है।

के वर्तमान बैच में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करने का प्रयास

इनमें से किसी भी प्रासंगिक पृष्ठभूमि तथ्य के संदर्भ के बिना विभाग के मामले। पिछले दो दशकों में, न्यायाधिकरण और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और नियमों में निर्धारित दिशानिर्देशों को लागू किया है जो एक प्रक्रिया के विकास में योगदान करते हैं। मामलों के वर्तमान समूह में विभाग की अपीलों में हस्तक्षेप और/या इस पृष्ठभूमि की अनदेखी करते हुए कोई भी दिशानिर्देश निर्धारित करने से धारा 260 ए (धारा 100 सी. पी. सी. के समतुल्य) के तहत अच्छी तरह से तय किए गए सिद्धांतों को संभावित रूप से बाधित किया जा सकता है। पृष्ठभूमि तथ्यों या विभाग की अपीलों के वर्तमान समूह में,

उच्च न्यायालय द्वारा विवेक की कमी के बारे में विभाग के तर्क से उच्च न्यायालय पर एक अन्यायपूर्ण बोझ पड़ेगा कि वह अपने समक्ष रखे गए तथ्यों की स्वतः खोज करे, विभाग के लिए एक मामला बनाए और उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी से किसी भी सहायता के बिना इसका फैसला करे। इस तरह के कोई भी दिशा-निर्देश न केवल धारा 260 ए के संदर्भ में स्थापित कानून को बाधित करेंगे, बल्कि सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत प्रक्रिया को भी प्रभावित करेंगे। अपीलों के इस समूह में शामिल निर्धारिती मामलों के विपरीत, यह विभाग का मामला कभी नहीं था कि उच्च न्यायालय ने ऐसा नहीं किया है उच्च न्यायालय के समक्ष उसके किसी भी लिखित/मौखिक अभिवचन पर विचार किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अभिवचनों, निर्धारिती और विभाग की अपीलों में इस न्यायालय के समक्ष अपीलों में अभिवचनों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है, न कि व्यापक सामान्यीकरण पर आधारित।

3.11 यह प्रस्तुत किया जाता है कि हस्तांतरण मूल्य निर्धारण प्रावधान अनिवार्य रूप से एक मूल्यांकन अभ्यास है जिसमें एक सांख्यिकीय नमूने का निर्धारण शामिल है

तुलनीय। आईटी अधिनियम की धारा 92 सी (2) के तहत, आर्म की लंबाई की कीमत हमेशा एक सीमा में होती है। यह विज्ञान नहीं है, बल्कि एक कला है। जी. एल. में यह न्यायालय।

सुतानिया और एन. आर. बनाम एस. ई. बी. आई. और अन्य। 2007 (5) एस. सी. सी. 133 में अनुच्छेद 84 और 85 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मूल्यांकन तथ्य का प्रश्न है। 3.12 यह प्रस्तुत किया जाता है कि राजस्व का मामला यह है कि सॉफ्टब्रांड्स इंडिया (पी) लिमिटेड (ऊपर) में प्रस्ताव है कि तुलनीय वस्तुओं के चयन या फिल्टर के अनुप्रयोग से जुड़े हस्तांतरण मूल्य निर्धारण मामलों से कानून का कोई सवाल नहीं उठ सकता है, और न्यायाधिकरण अंतिम तथ्य है।

प्राधिकरण का पता लगाने और न्यायाधिकरण द्वारा तय किए गए सभी प्रश्न तथ्य के प्रश्न हैं जो बहुत व्यापक रूप से बताए गए हैं, और इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आईटी अधिनियम की धारा 260 ए के तहत उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी।

3.13 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

और राजस्व द्वारा की गई अपीलों को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। 4. हमने राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. श्री बलबीर सिंह और संबंधित निर्धारिती की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील/वकील को विस्तार से उपस्थित होते सुना है।

5. राजस्व, संबंधित उच्च न्यायालयों, विशेष रूप से कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पसंद की जाने वाली दीवानी अपीलों के वर्तमान बैच में

राजस्व द्वारा की गई उन अपीलों को खारिज कर दिया है जिसमें राजस्व ने सॉफ्टब्रांड इंडिया (पी) लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए और/या विचार करते हुए न्यायाधिकरण द्वारा शाखा की लंबाई के मूल्य के निर्धारण को चुनौती दी थी। सॉफ्टब्रांड्स इंडिया (पी) लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, उच्च न्यायालय ने यह विचार रखा है कि न्यायाधिकरण द्वारा हथियार की लंबाई मूल्य का निर्धारण अंतिम होगा जिसके खिलाफ आई. टी. अधिनियम की धारा 260 ए के तहत अपील पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

इसलिए, इस न्यायालय के विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न पूछा जाता है, वह यह है कि क्या प्रत्येक मामले में जहां न्यायाधिकरण निर्धारित करता है।

हाथ की लंबाई की कीमत, वही अंतिमता प्राप्त करेगी और उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 260 ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित हाथ की लंबाई की कीमत के निर्धारण पर विचार करने से वंचित है।

6. उपरोक्त मुद्दे का निर्धारण करते समय, आई. टी. अधिनियम के तहत हाथ की लंबाई की कीमत निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक प्रावधानों की आवश्यकता होती है -

संदर्भित किया जाता है।

धारा 92-सी जो निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है।

ए. एल. पी. अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार हैः

“ 92 सी. (1) एक के संबंध में हाथ की लंबाई की कीमत

अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन [या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन]

लेन-देन] का निर्धारण लेन-देन की प्रकृति या लेन-देन के वर्ग या वर्ग [2023] 4 एस. सी. आर. को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से किया जाएगा, जो सबसे उपयुक्त तरीका है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संबद्ध व्यक्तियों या उनके द्वारा किए गए कार्यों का

व्यक्ति या ऐसे अन्य प्रासंगिक कारक जो बोर्ड कर सकता है

निर्धारित करें, अर्थात्:

(क) तुलनीय अनियंत्रित मूल्य विधि;

(ख) पुनर्विक्रय मूल्य विधि; (ग) लागत और विधि;

(घ) लाभ विभाजन विधि;

(ई) लेन-देन शुद्ध मार्जिन विधि;

(च) ऐसी अन्य विधि जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाए।

) भुजा की लंबाई के मूल्य के निर्धारण के लिए उप-धारा) में निर्दिष्ट सबसे उपयुक्त विधि लागू की जाएगी,

विधि जो विहित की जाए:

यह तय किया गया है कि जहां एक से अधिक कीमत ओ. एस. टी. उपयुक्त विधि द्वारा निर्धारित की जाती है, तो हाथ की लंबाई की कीमत ली जाएगी।

ऐसी कीमतों का अंकगणितीय माध्य होना चाहिए:

** ** **

) जहाँ किसी कार्यवाही के दौरान

आय का निर्धारण, निर्धारण अधिकारी इस आधार पर करता है

उसके कब्जे में सामग्री या जानकारी या दस्तावेज,

ई की राय है कि

लेन-देन [या निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन] नहीं हुआ है उप-धारा (1) और (2) के अनुसार निर्धारित किया गया है; या

((ख) इससे संबंधित कोई भी जानकारी और दस्तावेज।

अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन [या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन]

लेन-देन] द्वारा रखा और बनाए नहीं रखा गया है

में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारिती

धारा 92 डी की उप-धारा (1) और इसमें बनाए गए नियम की ओर से; या

(ग) भुजा की गणना में उपयोग की जाने वाली जानकारी या डेटा

लंबाई मूल्य विश्वसनीय या सही नहीं है; या SAP लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

आय कर अधिकारी, क्रम 6, बैंगलोर [एम. आर. शाह, जे.]

(घ) निर्धारिती विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी कोई जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा है जिसे उसे उप-धारा (3) के तहत जारी सूचना द्वारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।

धारा 92 डी, निर्धारण अधिकारी आगे बढ़ सकता है

उक्त के संबंध में हाथ की लंबाई की कीमत निर्धारित करें

ऐसी सामग्री या जानकारी या दस्तावेज़ के आधार पर उप-धारा (1) और (2) के अनुसार लेन-देन उसके साथ उपलब्धः

बशर्ते कि निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती को नोटिस में निर्दिष्ट की जाने वाली तारीख और समय पर कारण बताने के लिए एक नोटिस देकर एक अवसर दिया जाएगा, कि क्यों सामग्री या जानकारी या दस्तावेज़ के आधार पर हाथ की लंबाई की कीमत का निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए।

निर्धारण अधिकारी का अधिकार "।

20. इस प्रकार धारा 92 सी (1) "लेन-देन की प्रकृति या लेन-देन के वर्ग या संबंधित लेनदेन के वर्ग" को ध्यान में रखते हुए, "सबसे उपयुक्त विधि" होने के नाते, पाँच गणना की गई विधियों में से किसी एक द्वारा "हथियारों की लंबाई मूल्य" (ए. एल. पी.) के निर्धारण की कल्पना करती है।

ऐसे व्यक्तियों द्वारा निष्पादित व्यक्ति या कार्य या ऐसे अन्य प्रासंगिक कारक जो बोर्ड निर्धारित करे, अर्थात् (क)

तुलनीय अनियंत्रित मूल्य विधि, (बी) पुनर्विक्रय मूल्य विधि, (सी) लागत + विधि, (डी) लाभ विभाजन विधि, (ई) लेन-देन शुद्ध मार्जिन विधि, (एफ) ऐसी कोई अन्य विधि जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाए। जहाँ एक से अधिक कीमत

सबसे उपयुक्त विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो हाथ की लंबाई की कीमत को ऐसी कीमतों का अंकगणितीय माध्य माना जाएगा।

21. नियमों के नियम 10 बी में धारा 92 सी के तहत हाथ की लंबाई की कीमत का निर्धारण निर्धारित किया गया है। सभी तरीकों में पहला कदम समान परिस्थितियों में "तुलनीय कार्य करने वाले असंबंधित उद्यम" के साथ किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के बीच अंतर का मूल्यांकन है। नियम 10 बी आय-कर नियम अन्य बातों के साथ-साथ हाथ की लंबाई की कीमत निर्धारित करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रावधान करते हैं। नियम 10 बी (1) (ई) "लेन-देन शुद्ध मार्जिन विधि" (टी. एन. एम. एम.) निर्धारित करता है जिसके साथ वर्तमान मामला संबंधित है। नियम 10 बी (1) (ई) (आई) निम्नानुसार हैः

23] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 10 बी. (1) खंड के तहत हाथ की लंबाई की कीमत का निर्धारण

92 सीः — . .

*

**

एक संबद्ध के साथ किया गया अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन उद्यम की गणना खर्च या बिक्री के संबंध में की जाती है।

द्वारा प्रभावित या नियोजित या नियोजित परिसंपत्तियाँ

उद्यम या किसी अन्य प्रासंगिक आधार को ध्यान में रखते हुए।

7. इसलिए, भुजा की लंबाई का मूल्य निर्धारित करते समय, न्यायाधिकरण

उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, यह हमेशा उच्च न्यायालय के लिए विचार करने और जांच करने के लिए खुला है कि क्या हाथ की लंबाई की कीमत तय की गई है अधिनियम और नियमों के तहत प्रासंगिक दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया। यहां तक कि उच्च न्यायालय भी दो कंपनियों की तुलना या फिल्टर के चयन के सवाल की जांच कर सकता है और जांच कर सकता है।

क्या यह विवेकपूर्ण तरीके से और अभिलेख पर प्रासंगिक सामग्री/साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। उच्च न्यायालय यह भी जांच कर सकता है कि क्या तुलनीय लेन-देन को ठीक से ध्यान में रखा गया है या नहीं, यानी, इस हद तक कि गैर-तुलनीय लेन-देन को तुलनीय लेन-देन माना जाता है या नहीं। इसलिए, द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सॉफ्टब्रांड इंडिया (पी) लिमिटेड के मामले में कहा कि हस्तांतरण मूल्य निर्धारण मामलों में, न्यायाधिकरण द्वारा हाथ की लंबाई मूल्य का निर्धारण अंतिम है और आईटी अधिनियम की धारा 260 ए के तहत जांच का विषय नहीं हो सकता है।

8. इस प्रकार, प्रत्येक मामले में, उच्च न्यायालय को जांच करनी चाहिए कि क्या

अधिनियम और नियमों में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है जबकि एसएपी लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

हाथ की लंबाई का मूल्य निर्धारित करना। इसलिए, हमारी राय है कि सॉफ्टब्रांड इंडिया (पी) लिमिटेड के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पूर्ण प्रस्ताव। (ऊपर दिया गया है) कि हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के मामले में, न्यायाधिकरण द्वारा हाथ की लंबाई के मूल्य का निर्धारण अंतिम होगा और यह जांच का विषय नहीं हो सकता है और उच्च न्यायालय को आईटी अधिनियम की धारा 260 ए के तहत एक अपील में न्यायाधिकरण द्वारा हाथ की लंबाई के मूल्य के निर्धारण की शुद्धता की जांच करने से इस आधार पर रोक दिया गया है कि इसे कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने के लिए नहीं कहा जा सकता है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, एक अपील में आई. टी. अधिनियम की धारा 260 ए के मापदंडों के भीतर हाथ की लंबाई की कीमत के निर्धारण को चुनौती देते हुए, उच्च न्यायालय के लिए प्रत्येक मामले में यह जांच करने के लिए हमेशा खुला रहता है कि हाथ की लंबाई की कीमत निर्धारित करते समय, अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है या नहीं और क्या हाथ की लंबाई की कीमत का निर्धारण और हाथ की लंबाई की कीमत निर्धारित करते समय न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं या नहीं।

न्यायाधिकरण द्वारा भुजा की लंबाई का मूल्य निर्धारित करते समय अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है या नहीं और इस हद तक कि भुजा की लंबाई का मूल्य निर्धारित करते समय न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं या नहीं। नहीं।

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी अपीलों की अनुमति है। विवादित निर्णय और आदेश पारित किए गए संबंधित उच्च न्यायालयों को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में अपीलों पर नए सिरे से निर्णय लेने और उनका निपटारा करने के लिए मामलों को संबंधित उच्च न्यायालयों को वापस भेजा जाता है और यह जांचने के लिए कि क्या प्रत्येक मामले में हाथ की लंबाई का मूल्य निर्धारित करते समय अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है या नहीं और क्या हाथ की लंबाई का मूल्य निर्धारित करते समय न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं या नहीं।

नहीं। उपरोक्त प्रक्रिया वर्तमान आदेश की प्राप्ति की तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर संबंधित [2023] 4 एस. सी. आर. द्वारा पूरी की जानी चाहिए।

उच्च न्यायालय। यह विशेष रूप से देखा गया है कि हमने मामलों के गुण-दोष में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं किया है और हमने संबंधित निर्धारकों के मामले में भुजा की लंबाई मूल्य के निर्धारण पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है।

या तो निर्धारिती के पक्ष में या राजस्व के पक्ष में। अंततः यह संबंधित उच्च न्यायालय पर है कि वह एक नया निर्णय ले, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है।

11. उपरोक्त के संदर्भ में इन सभी अपीलों की अनुमति है। नहीं।

लागतें।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन (सहायकः अभिषेक प्रताप सिंह और तमन्ना, एलसीआरएएस)